संख्या:1590 ई-2/तेरह-2020-43/2013

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जुलाई, 2020

विषयः- उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020 के अधीन लाइसेंसों की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा. मंत्रिपरिषद के आदेश दिनांक 22.05.2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदक्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में आम नागरिकों द्वारा शॉपिंग माल्स से विभिन्न वस्तुओं की खरीददारी की जाती है। विगत कुछ वर्षो से शॉपिंग माल्स से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसके दृष्टिगत् शॉपिंग माल्स से उच्चतर श्रेणी की मंहगी मदिरा के क्रय करने की सुविधा प्रदान किया जाना आवश्यक पाते हुये उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस का व्यवस्थापन) नियमावली, 2020 (छायाप्रति संलग्न) प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली के अंतर्गत न्यूनतम 10,000 वर्ग फिट वाले भवन में संचालित मॉल में न्यूनतम 500 वर्ग फिट के परिसर में विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों की स्वीकृति अर्ह आवेदकों के पक्ष में प्रदान की जायेगी तथा एफ.एल.-4(सी) प्रपत्र में अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा। इन लाइसेंसों के लाइसेंसिग प्राधिकारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी होंगे।

2. यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होंगी, जिनके अनुज्ञापन किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म अथवा सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार शेल्फ से ब्राण्ड चुनने की सुविधा प्रदान की जायेगी। दुकान सुसज्जित शेल्फ सहित वातानुकूलित होगी जिससे कि विभिन्न प्रकार के ब्राण्ड शेल्फ में व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किये जा सकें।

3. प्रीमियम रिटेल वेण्ड केवल आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत श्रेणियों की विदेशी मदिरा की बिक्री कर सकेंगे। वेण्ड के परिसर में मदिरा के सेवन की अनुमति नहीं होगी। प्रीमियम रिटेल वेंण्ड केवल निम्नलिखित श्रेणियों की विदेशी मदिरा, वाइन और बीयर की बिक्री कर सकेंगेः-

1. आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड(बी.आई.ओ.)
2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच या इससे उच्च श्रेणी के ब्राण्ड
3. ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त ब्राण्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वोदका एवं रम के रुपया 700.00 से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्राण्ड

5. रुपया 160 या इससे अधिक प्रति 500 एम.एल. कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली या इसके समतुल्य बीयर ब्राण्ड।

4. शासनादेश संख्याः-51/2020/1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020, दिनांक 16.06.2020 के प्रस्तर-3 (10) के अंतर्गत विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंस फीस रुपया 12 लाख निर्धारित करते हुये आंशिक अवधि की लाइसेंस फीस के निर्धारण संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुये विदेशी मदिरा के प्रीमियम फुटकर विक्रय के लाइसेंसों हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का नियमावली के प्राविधानों के आलोक में परीक्षण कराते हुये, अर्ह आवेदकों के पक्ष में उपरोक्त लाइसेंस स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:1590(1) ई-2/तेरह-2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।